

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

/to (General Information relating/Legislative and other matters)
Friday, December 24, 1993/Pausa 3, 1915 (Saka)

No.28.

Release of Dr. A.K. Walia

The following letter dated 22nd December, 1993 addressed to the Speaker, Vidhan Sabha was received on 23rd December, 1993 from Addl. Dy. Commissioner of Police, Delhi on 22nd December, 1993.

"Dr. A.K. Walia, M.L.A from Geeta Colony and others alongwith 285 persons including 87 ladies have interfered during the course of the demolition, as such they have been detained under section 65, Delhi Police Act, P.S. Shakarpur at 1310 hrs. Later on, all have been released at 16.30 hrs."

K.S. GUPTA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों के लिए सामान्य जानकारी §

शुक्रवार, दिसम्बर 24, 1993 पृ. सं. 5, 1915 § अंक §

संख्या : 28

डा० ए. के. वालिया की रिहाई

अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उप पुलिस उपायुक्त, दिल्ली का दिनांक 22, दिसम्बर, 1993 का निम्नलिखित दिनांक 22.12.1993 का पत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 को प्राप्त हुआ था :

"डा. ए. के. वालिया, विधायक, गीता कालोनी तथा 87 महिलाओं सहित अन्य 285 व्यक्तियों ने भवन गिराने के दौरान हस्तक्षेप किया तथा इसके परिणामस्वरूप उन्हें दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत थाना शकरपुर में 13.10 बजे नजरबंद किया गया है, बाद में इन सभी को 16.30 बजे रिहा कर दिया गया ।

के० एस० गुप्ता

सचिव